आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department

Grant in aid to Voluntary Organisation working for Welfare of Scheduled Tribes

मेघालय का समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाले NGO को छात्र गृह, छात्रावास और प्रशिक्षण जैसे कामों के लिए अनुदान देता है।

क्या मिल सकता है

छात्र गृह, साक्षरता, चलता-फिरता औषधालय, आदिवासी छात्रावास और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे जनजातीय कल्याण कामों के लिए NGO को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता। पेज में केंद्र को प्रायोजक बताया गया है।

किसके लिए है

मेघालय के वे NGO जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करते हैं। व्यक्ति सीधे आवेदन नहीं करते; आवेदन संगठन करता है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक NGO या स्वैच्छिक संगठन होना चाहिए।
- काम अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए हो, जैसे छात्र गृह, साक्षरता, चलता-फिरता औषधालय, आदिवासी छात्रावास या कंप्यूटर प्रशिक्षण।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/15651
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-vo-grant-scheduled-tribes-welfare/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।